

(1)

दाण्डिक पुनरीक्षण क्रमांक: 224 / 15

न्यायालय:- द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)

(समक्ष: श्री पी.सी. आर्य)

दाण्डिक पुनरीक्षण क्रमांक: 224 / 15

संस्थापन दिनांक-18.09.15

फाईलिंग नंबर-23030313252015

1. रामप्रसाद पुत्र भजनलाल शर्मा आयु 65 साल
 2. पुरुषोत्तम शर्मा पुत्र भजनलाल शर्मा आयु 62 साल
 3. ओमप्रकाश पुत्र सीताराम शर्मा आयु 75 साल
 4. केदार पुत्र सीताराम शर्मा आयु 75 साल
 5. गिराज पुत्र ओमप्रकाश आयु 34 साल
 6. अटल बिहारी पुत्र केदारशर्मा आयु 40 साल
 7. दीपक पुत्र पुरुषोत्तम शर्मा आयु 30 साल
 8. टिल्लू शर्मा पुत्र भगवान शर्मा आयु 35 साल
 9. रामू शर्मा पुत्र भगवान शर्मा आयु 32 साल
 10. नन्दा शर्मा पुत्र भगवान शर्मा आयु 32 साल
 11. कमलेश शर्मा पुत्र मुरारी शर्मा आयु 45 साल
 12. उमेश शर्मा पुत्र केदारनाथ शर्मा आयु 45 साल
- समस्त निवासीगण ग्राम बडागर परगना गोहद जिला भिण्ड

—पुनरीक्षणकर्ता / आवेदकगण / आरोपीगण

वि रु द्ध

- 1- म0प्र0 शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र गोहद

.....प्रतिपुनरीक्षणकर्तागण / अनावेदक

न्यायालय-श्री पंकज शर्मा न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी गोहद जिला-भिण्ड के
न्यायालय के प्रकरण क्रमांक-1292/06 ई.फौ. पारित आदेश दिनांक 07.09.15 से
उत्पन्न दाण्डिक पुनरीक्षण

निगरानीकर्ता द्वारा श्री प्रवीण गुप्ता अधि० ।
राज्य द्वारा श्री बी०एस० बघेल ए०जी०पी०

—:: आ दे श ::—

(आज दिनांक 17 मार्च 2016 को पारित किया गया)

- 1- उपरोक्त दाण्डिक पुनरीक्षण याचिका धारा 397 द0प्र0सं० के अंतर्गत न्यायालय जे०एम०एफ०सी० गोहद श्री पंकज शर्मा के द्वारा दाण्डिक प्रकरण क्रमांक-1292/06 में दिनांक 07.09.15 को पारित आरोप संबंधी आदेश से व्यथित होकर प्रस्तुत की है।

- 2- प्रकरण में यह निर्विवादित तथ्य है कि जे०एम०एफ०सी० गोहद श्री पंकज शर्मा के न्यायालय का दाण्डिक प्र०क०-1292/06 का दिनांक 23.01.06 को निराकरण हो

चुका है।

3- आरोपी/पुनरीक्षणकर्ता की ओर से प्रस्तुत की गई दाण्डिक पुनरीक्षण याचिका में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विरचित किये गये आरोप अंतर्गत धारा-341, 323, 324, 325, 326, 147,148, 149 एवं 506बी भादवि को इस आधार पर चुनौती दी है कि जिस मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर धारा-326 भादवि के आरोप की विरचना हेतु अभियोजन की ओर से बचाव साक्ष्य के प्रक्रम पर धारा-216 दप्रसं के अंतर्गत आवेदन दिया गया था वह स्वीकार योग्य नहीं था। क्योंकि आहत रामनरेश ने दिनांक 18.06.06 से दिनांक 04.07.06 तक एकसरे परीक्षण नहीं कराया था। किन्तु विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने आवेदन को स्वीकार कर धारा-326 सहपठित धारा-149 भादवि के तहत विरचित आरोप विधि विरुद्ध हैं इसलिये पुनरीक्षण याचिका स्वीकार की जाकर आलोच्य आदेश अपास्त किया जावे।

4- उपरोक्त पुनरीक्षण के निराकरण के लिये मुख्य रूप से निम्न प्रश्न विचारणीय है:-

- 1- क्या विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुनरीक्षणकर्तागण के विरुद्ध पेश किये गये अभियोगपत्र के आधार पर धारा 341, 323, 324, 325, 326, 147,148,149 एवं 506बी भा0द0सं0 के तहत विरचित आरोप विधि विधान के विपरीत होकर या अशुद्ध या औचित्यहीन होकर अपास्त किये जाने योग्य है?
- 2- क्या पुनरीक्षणकर्तागण उक्त धाराओं से उन्मोचित किये जाने योग्य हैं?

:- निष्कर्ष के आधार:-

विचारणीय प्रश्न क्रमांक-1 एवं 2

5- उपरोक्त दोनों विचारणीय बिन्दु का निराकरण साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हो इस कारण एक साथ किया जा रहा है ।

6- पुनरीक्षणकर्तागण के अधिवक्ता ने इस संबंध में मूल रूप से यह तर्क किया है कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विरचित किये गये आरोप अंतर्गत धारा-341, 323, 324, 325, 326, 147,148, 149 एवं 506बी भादवि में जिस मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर धारा-326 भादवि के आरोप की विरचना हेतु अभियोजन की ओर से बचाव साक्ष्य के प्रक्रम पर धारा-216 दप्रसं के अंतर्गत आवेदन दिया गया था वह स्वीकार योग्य नहीं था। क्योंकि आहत रामनरेश ने दिनांक 18.06.06 से दिनांक 04.07.06 तक एकसरे परीक्षण नहीं कराया था। इसलिये आदेश अपास्त किया जावे।

7- अधीनस्थ न्यायालय के प्र0क0-1292/06 का आहूत किया गया और उसका अवलोकन किया गया। आरोपी/पुनरीक्षणकर्तागण द्वारा जिस आदेश को चुनौती देते हुए उक्त पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी उसके पश्चात विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में विचारण पूर्ण कर गुण-दोषों पर निराकरण दिनांक 23 जनवरी-2016 को कर दिया गया है। तर्कों में यह बिन्दु भी प्रकट हुआ है कि आलोच्य निर्णय के विरुद्ध भी दाण्डिक अपील इसी न्यायालय में प्रस्तुत की जा चुका है और सुनवाई हेतु विचाराधीन है। ऐसे में धारा-326 भादवि के संबंध में विरचित आरोप के बाबत दाण्डिक अपील में भी सुनवाई होगी। विचारण पूर्ण हो

चुका है इसलिये आरोप के संबंध में संबंधित पुनरीक्षण याचिका का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। वैसे भी सुस्थापित विधि मुताबिक संदेहों के उत्पन्न होने की दशा में आरोप विरचित किये जाकर विचारण किये जाने की विधि है और आरोप के स्तर पर गुणदोष नहीं देखे जाते हैं कि दोषसिद्धि होगी या नहीं होगी। इसलिये आरोप के संबंध में प्रस्तुत की गई दाण्डिक पुनरीक्षण याचिका विधिक बल नहीं रखती है। न ही आलोच्य आदेश विधि विरुद्ध अनियमित व औचित्यहीन होना उक्त परिस्थिति में नहीं माना जा सकता है। इसलिये विचारोपरान्त प्रस्तुत दाण्डिक अपील निरर्थक और सारहीन होने से वाद विचार निरस्त की जाती है।

8- आदेश की एक प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख वापिस भेजा जाये ।

दिनांक **17.03.16**

आदेश खुले न्यायालय में दिनांकित व हस्ताक्षरित कर पारित किया गया

मेरे बोलने पर टंकित किया गया

(पी0सी0 आर्य)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश
गोहद जिला भिण्ड

(पी0सी0 आर्य)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश
गोहद जिला भिण्ड

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)